भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

(Amendment No. 61 to Subject List, Edition 2013)

Office Order No. 25 of 2024

Sub.: Transfer of Subject from TG-IV Branch to TG-II Branch in Board's Office.

It has been decided to transfer the following items from the subject list of TG-IV branch to the subject list of TG-II branch:

S.No.	Subject	From (Item No. of duty list)	To (Item no. of duty list)
1	Battery Operated Cart for the disabled passengers	TG-IV (Item No.4 (part)	TG-II (Item No.7)
2	Public Announcement System at Railway Platforms	TG-IV (Item No.9)	TG-II (Item No.8)

1.1. It has also been decided to allot the subject of 'Reception booth at Railway stations by Government /Semi Government Organizations/NGOs' to TG-II branch.

2. Accordingly, the subject list of TG-II and TG-IV branch has been revised and enclosed at **Annexure-I & II**.

3. The above issues with the approval of competent authority.

No. 2024/O&M/7/12
Dated:05.06.2024

(T. Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Tele No. 011-47845551
Email ID: t.srinivas1@gov.in

All Officers/Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Dayabasti, New Delhi.

Copy to:

CRB&CEO, MF, M/Infra, M/O&BD, M/TRS

AM/Commercial,

Copy for information:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MoSR(J)

Annexure-I

TG – II

1. Handling of passenger complaints relating to reservation/booking/enquiry against booking clerk, reservation clerk, enquiry clerk and train manning staff received by Board Members and Offices of MR/MSRs.

2. Matter pertaining to Customer Care Institute.

3. Matter relating to training of commercial staff in association with Training Directorate.

4. Policy relating to grant of license to Licensed Porter, transfer of badge, supply of uniform and fixation of portage charges.

5. Co-ordination of Union items pertaining to TG-I, TG-II, TG-IV, TG-V and TC-II.

6. Issues related to Commercial Department Office on Railways.

7. Provision of Battery operated carts for the disabled passengers at Railway stations

8. Public Announcement System at Railway platforms.

9. Reception booth at Railway stations by Govt./Semi Govt. Organisations /NGOs.

10. Parliament Questions on above including shifting of Commercial Department Office.

*****

Annexure-II

TG – IV

1. New demands/proposals for improvement/upgradation of Passenger Amenities at Railway stations other than Minimum Essential Amenities.

2. New proposal for inclusion of any station under the modernisation scheme viz. Model Station Scheme, Modern Station Scheme and Adarsh Station Scheme.

3. Lack of amenities at railway stations other than Minimum Essential Amenities/Basic Amenities*(see Note below).

4. Provision of wheel chairs for the disabled passengers at railway stations.

5. Policy for allotment of PCO/STD Booths at railway stations

6. Halt station – Opening, Closure, re-opening, upgradation to flag station & policy on these issues.

7. Change of name of railway stations.

8. National Train Enquiry System.

9. **Commercial Development of station and its air space including circulating area.** (Office Order No. 36 of 2018).

10. Planning and Operations of Pay and Use Toilets in lands within station premises and within circulating areas of railway stations (OO No. 36 of 2018)

11. Sanitation at railway stations including adequate dustbins and Mini-Incinerators at Station.

12. Provision of retiring rooms at railway stations.

13. Allotment of shoe shine contract at railway stations.

14. Allotment of Barber Shop at railway stations.

15. CA-iii references relating to the above.

16. Parliament Questions on the above.

***Note**: The term basic amenities/infrastructural facilities at station in any reference/Question shall be dealt with as under:-

a. If the issue raised is regarding lack of basic amenities/infrastructural facilities without making reference to any specific amenities, the same shall be dealt with by **SD-I branch of SD Dte..**

b. If the issue raised regarding basic amenities/infrastructural facilities is qualified by provision of specific amenities like lifts/escalators, foot over bridges etc, the same shall be dealt with by **Traffic Commercial Dte.**

****

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

(जुलाई, 2013 के संस्करण की
विषय-सूची में संशोधन संख्या 61)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 25

विषय: बोर्ड कार्यालय में टीजी-IV अनुभाग के विषय का टीजी-II अनुभाग को हस्तांतरण।

टीजी-IV अनुभाग की विषय सूची से निम्नलिखित मदों को टीजी-II अनुभाग की विषय सूची में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है:

क्रम सं.	विषय	(ड्यूटी लिस्ट की मद सं.) से	(ड्यूटी लिस्ट की मद सं.) में
1	दिव्यांग यात्रियों के लिए बैटरी चालित गाड़ी	टीजी-IV (मद सं. 4 (भाग)	टीजी-II (मद सं. 7)
2	रेलवे प्लेटफार्मों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली	टीजी-IV (मद सं. 9)	टीजी-II (मद सं. 8)

1.1 यह भी निर्णय लिया गया है कि 'सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर स्वागत कक्ष' का विषय टीजी-II अनुभाग को आबंटित किया जाए।

2. तदनुसार, टीजी-II और टीजी-IV शाखा की विषय सूची को संशोधित किया गया है और अनुलग्नक-I और II के रूप में संलग्न है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/7/12
दिनांक: 05.06.2024

(टी. श्रीनिवास)
संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड
टेलीफोन नं.- 011-47845551
ईमेल आईडी: t.srinivas1@gov.in

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, सदस्य/वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक अपर सदस्य/वाणिज्य,

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (जे)

अनुलग्नक-I

यातायात सामान्य (टीजी) -II

1. बोर्ड के सदस्यों और रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री के कार्यालयों में बुकिंग क्लर्क, आरक्षण लिपिक, इंक्यावरी क्लर्क और गाड़ी में तैनात कर्मियों के विरुद्ध आरक्षण/बुकिंग/पूछताछ से संबंधित प्राप्त की गई यात्रियों की शिकायतें।
2. कस्टमर केयर संस्थान से संबंधित मामला।
3. प्रशिक्षण निदेशालय के सहयोग से ***वाणिज्यिक कर्मियों*** के प्रशिक्षण से संबंधित मामला।
4. लाइसेंसधारी पोर्टर को लाइसेंस प्रदान करने, बैज का हस्तांतरण, वर्दी की आपूर्ति और पोर्टेज शुल्क के निर्धारण संबंधित नीति।
5. टीजी-I, टीजी-II, टीजी-IV, टीजी-V और टीसी-II से संबंधित संघ मदों का समन्वय।
6. रेल के वाणिज्य विभाग कार्यालय से संबंधित मुद्दे।
7. रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग यात्रियों के लिए बैटरी चालित गाड़ियों की व्यवस्था।
8. रेलवे प्लेटफार्मों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली।
9. सरकारी/अर्धसरकारी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा रेलवे स्टेशनों पर रिसेप्शन बूथ।
10. ***वाणिज्य विभाग*** कार्यालय के स्थानांतरण सहित उपरोक्त पर संसदीय प्रश्न।

यातायात सामान्य-IV

1. रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त यात्री सुविधाओं में सुधार/अद्यतन हेतु नई मांग/प्रस्ताव।
2. किसी भी स्टेशन को आधुनिकीकरण योजना अर्थात् मॉडल स्टेशन योजना, मॉडर्न स्टेशन योजना तथा आदर्श स्टेशन योजना में शामिल करने के लिए नया प्रस्ताव।
3. रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं/मूलभूत सुविधाओं (नीचे नोट देखें) के अतिरिक्त सुविधाओं की कमी।
4. रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयरों का प्रावधान।
5. रेलवे स्टेशनों पर पीसीओ/एसटीडी बूथों के आबंटन के लिए नीति।
6. हॉल्ट स्टेशन - खोलना, बंद करना, पुन: खोलना, फ्लैग स्टेशन के रूप में उन्नयन करना तथा इस संबंध में नीति।
7. रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तन।
8. राष्ट्रीय रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली।
9. स्टेशन तथा इसके परिचालन क्षेत्र सहित नभ क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास। (2018 का कार्यालय आदेश सं. 36)
10. स्टेशन परिसरों के भीतर तथा रेलवे स्टेशनों के परिचालन क्षेत्रों के भीतर सशुल्क शौचालयों का नियोजन तथा परिचालन।
11. स्टेशनों पर्याप्त कूड़ेदानों तथा लघु-भट्टियों सहित रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता।
12. रेलवे स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम का प्रावधान।
13. रेलवे स्टेशनों पर शू शाइन संविदा का आबंटन।
14. रेलवे स्टेशनों पर नाई की दुकान का आबंटन।
15. उपरोक्त से संबंधित सीए-iii संदर्भ।
16. उपरोक्त पर संसदीय प्रश्न।

नोट: किसी संदर्भ/प्रश्न में स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं/अवसंरचनात्मक सुविधाओं शब्द को निम्नानुसार समझा जाएगा:-

क. यदि उद्धृत मामला किसी विशिष्ट सुविधा का संदर्भ दिए बिना मूल सुविधाओं/अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी से संबंधित है तब उसका निपटान **स्टेशन विकास निदेशालय की स्टेशन विकास-I अनुभाग** द्वारा किया जाएगा।

ख. यदि मूलभूत सुविधाओं/अवसंरचनात्मक सुविधाओं संबंधी उठाया गया मामला विशिष्ट सुविधाओं जैसे लिफ्ट/एस्केलेटर, पैदल पार पुलों आदि के प्रावधान से संबंधित है तब इसका निपटान **यातायात वाणिज्य निदेशालय** द्वारा किया जाएगा।